न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

निगरानी/1166-II-15

छोटेलाल पाण्डेय पिता रामप्रताप पाण्डेय, निवासी–ग्राम खजुहाकला, तहसील गुढ़ रीवा, जिला रीवा (म0प्र0) .....आवेदक

बनाम

1– दलवीर प्रसाद तनय भुवनेश्वर प्रसाद

2– रामार्चा प्रसाद तनय भुवनेश्वर प्रसाद

3– संतोष कुमार तनय नन्दकुमार ब्रा0

4– करुणा शंकर तनय नन्दकुमार ब्रा0

5– तामेश्वर प्रसाद तनय नन्दकुमार ब्रा0

6– रामचरित्र तनय नन्दकुमार ब्रा0

7– पार्वती पत्नी स्व0 नन्दकुमार ब्रा0

सभी निवासी–ग्राम खजुहाकला, तहसील गुढ़ रीवा, जिला रीवा (म0प्र0)

8– हरिहर प्रसाद तनय रामप्यारे ब्रा0

9– बृजलाल तनय संपत्त कुमार

10– रमाकांत तनय कनकराम पाण्डेय

11– रामखेलावन तनय राममिलन ब्रा0

12– वरमदीन तनय कौशल प्रसाद ब्रा0

सभी निवासी–ग्राम खजुहाकला, तहसील गुढ़ रीवा, जिला रीवा (म0प्र0) .....अनावेदक

निगरानी विरुद्ध आदेश अपर आयुक्त रीवा सम्भाग रीवा दिनांक 20/04/2015 जो अपील प्रकरण क्र0 665/अपील/2010–11 में पारित किया गया निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्नलिखित है :–

1– यह कि निर्णय व आदेश अधीनस्थ न्यायालय विधि एवं प्रक्रिया के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 1166–दो/2015 **जिला–रीवा**

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
25-9-2015	प्रकरण में आवेदक की ओर से श्री लक्ष्मीनारायण मिश्र अभि0 उपस्थित उनके द्वारा आवेदक की ओर से शीध्र सुनवाई का आवेदन पत्र प्रस्तुत कर शीध्र सुनवाई करने का निवेदन किया गया । प्रकरण का संक्षिप्त स्वरूप इस प्रकार है कि अनावेदक द्वारा अपर कलेक्टर के प्रकरण कमांक–62/अ–6/05–06 में पारित आदेश दिनांक–10.8.09 जिसके द्वारा प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया गया था, को पुनर्स्थापित करने हेतु दिनांक–30.8.2010 को संहिता की धारा 35(3) के तहत आवेदन पत्र अपर कलेक्टर के समक्ष पेश किया जिसे अपर कलेक्टर द्वारा अवधि वाह्य मानते हुए अपने आदेश दिनांक–10.11.10 के द्वारा निरस्त कर दिया गया । अपर कलेक्टर के आदेश दिनांक–10.11.10 से व्यथित होकर अपर आयुक्त रीवा के समक्ष अपील प्रस्तुत की गयी, जो पकरण कमांक–665/अपील/10–11 पर दायर की गयी । प्रकरण में आवेदक अभिभाषक के तर्क श्रवण किए गये । आवेदक अभिभाषक द्वारा अपने तर्को में मुख्य रूप से बताया गया कि अपर कलेक्टर के यहां प्रकरण मूलतः नामांतरण से संबंधित था जो अनावेदक के सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने के कारण अदम पैरबी में निरस्त किया गया था जिसके कम में अनावेदक द्वारा प्रकरण को पुनः	

R 1166/II/15

नम्बर पर लेने के लिए आवेदन अत्यधिक बिलम्ब से एक वर्ष बाद अपर कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत किया गया था जवकि संहिता में पुनर्स्थापन करने हेतु आवेदन धारा 35 (3) के तहत 30 दिवस की समयावधि में प्रस्तुत किया जाना चाहिए था जो नियम विरूद्ध होने से अपर कलेक्टर द्वारा निरस्त कर वैधानिक निर्णय लिया है । अपर कलेक्टर के उक्त विधिअनुकूल निर्णय को अपर आयुक्त द्वारा निरस्त करने में कानूनी भूल की है । उक्त तर्को के अतिरिक्त वही तर्क प्रस्तुत किए जो निगरानी मेंमो में अंकित है जिन्हें यहां पुनरांकित नहीं किया जा रहा है किन्तु बिचार में लिया गया है ।

प्रकरण में केबिएट कर्ता अनावेदक गण के अभिभाषक को भी सुना गया । उनके द्वारा अपने तर्को में वही तथ्य प्रकट किए जो केबिएट आवेदन में अंकित है जिन्हें यहां दुहराया नहीं जा रहा है किन्तु बिचार में लिया गया है ।

उभयपक्ष के अभिभाषकों के तर्को एवं निगरानी मेमों/केबिएट आवेदन में अंकित बिन्दुओं पर विचार किया गया तथा प्रकरण के संलग्न अपर आयुक्त के आदेश दिनांक-20.4.15 की प्रमाणित प्रति का अवलोकन किया गया । अवलोकन से पाया गया कि अपर आयुक्त द्वारा न्यायालयीन प्रकरण कमांक-665 /अपील / 10-11 में पारित आदेश दिनांक-20.4.15 के पेरा कमांक 5 में यह निष्कर्ष अभिलिखित किए गये है कि अपर कलेक्टर द्वारा नामांतरण प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किए

जाने हेतु तलवी पत्र जारी किए गये किन्तु बांछित मूल अभिलेख प्राप्त नहीं हुआ था तथा प्रकरण में आवेदक एवं अनावेदक की ओर से लिखित तर्क भी प्रस्तुत कर दिए गये थे प्रकरण में सिर्फ अभिलेख की तलबी शेष थी ऐसी स्थिति में अपर कलेक्टर को प्रकरण को अदम पैरवी में खारिज नहीं करना चाहिए था । अपर आयुक्त रीवा द्वारा पारित आदेश दिनांक–20.4.15 से अपर कलेक्टर के आदेश दिनांक–10.11.10 जिसके द्वारा पुनर्स्थापन आवेदन को निरस्त किया गया है, को निरस्त किया जाकर इस निर्देश के साथ प्रकरण अपर कलेक्टर को प्रत्यावर्तित किया गया है कि अपर कलेक्टर के यहां प्रकरण का अंतिम निराकरण नहीं हुआ है सिर्फ पुनर्स्थापन का आवेदन खारिज हुआ है, अपर कलेक्टर उभयपक्षों को सुनवाई का पर्याप्त अवसर देकर गुण दोष के आधार पर प्रकरण का निराकरण करें ।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूं कि यद्यपि अपर आयुक्त द्वारा अपने आदेश दिनांक–20.4.15 के पैरा 5 में निकाले गये निष्कर्ष उचित है किन्तु संहिता की धारा 49 (3) में निहित प्रावधानों के कम में अपील प्रत्यावर्तित नहीं की जा सकती जिसमें, यह स्पष्ट प्रावधानित है कि *"पक्षकारों को सुनने के पश्चात अपील प्राधिकारी उस आदेश की, जिसके कि विरूद्ध अपील की गयी है, पुष्टि कर सकेगा, उसमें फेरफार कर सकेगा या उसे उलट सकेगा या ऐसा अतिरिक्त साक्ष्य ले सकेगा जैसा कि आदेश पारित करने के लिए वह आवश्यक समझे :*

परन्तु यह कि अपील प्राधिकारी उसके अधीनस्थ किसी राजस्व अधिकारी द्वारा मामले को निपटाने के लिए प्रतिप्रेषित नहीं करेगा ।

उक्त प्रावधानों के अनुसरण में अपर आयुक्त रीवा की कार्यवाही परिलक्षित नहीं हो रही है जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि या तो अपर आयुक्त को संहिता में निहित प्रावधानों की जानकारी नहीं है या उनके द्वारा जानबूझ कर संहिता की धारा 49 में निहित प्रावधानों को अनदेखा किया गया है जो भी हो दोनो ही परिस्थितियों में यह उचित न होकर आपत्ति जनक है ।

अतः उपरोक्त तथ्यों के प्रकाश में अपर आयुक्त रीवा का आदेश दिनांक–20.4.2015 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि चूंकि आपके न्यायालय में प्रकरण अपील में दर्ज था जिसे अधीनस्थ न्यायालय को प्रत्यावर्तित न कर निर्णय आपको लेना था । अब प्रकरण में संहिता में निहित प्रावधानों के प्रकाश में नैसर्गित न्याय के सिद्धांतो का पालन करते हुए उभय पक्षों को सुनवाई का पर्याप्त अवसर देते हुए प्रकरण में नीतिगत निर्णय पारित करें । उक्त निर्देशों के साथ यह निगरानी प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है ।

आशीष श्रीवास्तव,
सदस्य